फूलादेवी बनाम जयदेव आदि वा०सं० 110/2010

9.2.2023 पुकारनी पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगाई गई फिर भी हाजिर नहीं। पत्रावली पर 212 अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पे (बी) व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पुकारनी नम्बर से क्रम की जाकर बाद हाजिर वकील जाप्ता हाजिर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 18:49:31 IST
Reason: SelfAttested